

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266299
CG-DL-E-22092025-266299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4135]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4135]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4253(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (जक) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित, निम्नलिखित मंत्रालयों या विभाग को अधिसूचित करती है, जिनके पास उक्त अधिनियम की धारा 36 के अनुसार अन्य संबंधित एजेंसियों या पणधारियों के सहयोग से, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित आपदाओं से उद्भूत विभिन्न परिसंकटों से होने वाली आपदाओं के संबंध में निगरानी, पूर्व चेतावनी, रोकथाम, शमन, तैयारी और क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी होगी, अर्थात्: -

तालिका

क्रम सं.	आपदा	मंत्रालय या विभाग
(1)	(2)	(3)
1.	(क) हिमस्खलन	रक्षा मंत्रालय
	(ख) तेल रिसाव	
2.	जैविक आपदाएँ	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

3.	(क) शीत लहर	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (केवल पूर्व चेतावनी के लिए)
	(ख) चक्रवात या बवंडर (टॉर्नेडो)	
	(ग) भूकम्प	
	(घ) लू	
	(ङ) बिजली गिरना	
	(च) सुनामी	
	(छ) ओलावृष्टि	
	(ज) भारी वर्षा	
4.	(क) फ्रॉस्ट और शीत लहर	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
	(ख) सूखा	
	(ग) ओलावृष्टि	
	(घ) नाशक जीव के हमले	
5.	(क) बाढ़	जल शक्ति मंत्रालय
	(ख) हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (ग्लोफ़)	
6.	बाढ़ – शहरी (पूर्व चेतावनी को छोड़कर)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
7.	(क) वन अग्नि	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
	(ख) औद्योगिक और रासायनिक आपदाएँ	
8.	भूस्खलन	खान मंत्रालय
9.	परमाणु और रेडियो-लॉजीकल आपातस्थिति	परमाणु ऊर्जा विभाग

[फा. सं. 30-1/2025-आ. प्र. -II]

डॉ. राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2025.

S.O. 4253(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (ha) of sub-section (2) of section 35 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby notifies the following Ministries or Department of the Government of India as mentioned in column (3) of the Table below which shall have the responsibility for monitoring, early warning, prevention, mitigation, preparedness and capacity building with regard to disaster arising from various hazards, against the disasters mentioned in column (2) of the said Table, in collaboration with other related agencies or stakeholders in accordance with section 36 of the said Act, namely:-

TABLE

S.No.	Disaster	Ministry or Department
(1)	(2)	(3)
1.	(a) Avalanche	Ministry of Defence
	(b) Oil Spills	
2.	Biological Disasters	Ministry of Health and Family Welfare
3.	(a) Cold Wave	Ministry of Earth Sciences (For early warning only)
	(b) Cyclone or Tornado	
	(c) Earthquake	

	(d) Heat Wave	
	(e) Lightning	
	(f) Tsunami	
	(g) Hail Storms	
	(h) Heavy Rainfall	
4.	(a) Frost and Cold Wave	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
	(b) Drought	
	(c) Hailstorm	
	(d) Pest Attack	
5.	(a) Floods	Ministry of Jal Shakti
	(b) Glacial Lake Outburst Flood	
6.	Floods – Urban (excluding early warning)	Ministry of Housing and Urban Affairs
7.	(a) Forest Fire	Ministry of Environment, Forests and Climate Change
	(b) Industrial and Chemical Disasters	
8.	Landslides	Ministry of Mines
9.	Nuclear and Radiological Emergencies	Department of Atomic Energy

[F.No. 30-1/2025-DM-II]

Dr. RAJESH GUPTA, Jt. Secy.